संख्या–U.6.58/आठ–10–2023

प्रेषक,

शीतला प्रसाद,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 उपाध्यक्ष/सचिव,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2 अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–10 लखनऊः दिनांक 13 दिसम्बर, 2023

विषयः–विभागों में कार्यरत सामान्य कोटि के संवर्गों, जिनमें वेतन उच्चीकरण केन्द्रीय समकक्षता से तुलनीयता के आधार पर मात्र वेतनमानों की परिस्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपयुक्त विषयक श्री पुष्पराज, विशेष सचिव, वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के पत्र संख्या–वे0आ0–2–789/दस–2023 दिनांक 11.12.2023 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित एस0एल0पी0 (सिविल) डायरी संख्या–20366/2023 उ0प्र0 सरकार व अन्य बनाम श्री वीरेन्द्र बहादुर कठेरिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 03.10.2023 के अनुपालन हेतु एडिशनल सॉलिसीटर जनरल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निम्न बिन्दुओं पर व्यय–भार की गणना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी हैः–

(1) विभागों में कार्यरत सामान्य कोटि के संवर्गों, जिनमें वेतन उच्चीकरण केन्द्रीय समकक्षता से तुलनीयता के आधार पर मात्र वेतनमानों की परिस्थिति में दिनांक 01.01.2006 से नोशनल तथा दिनांक 01.12.2008 से वास्तविक रूप में दिया गया है, को दिनांक 01.01.2006 से वास्तविक रूप से अनुमन्य किये जाने पर कितना व्ययभार आयेगा।

(2) विभाग विशेष के संवर्ग जिनमें वेतन उच्चीकरण केन्द्रीय समकक्षता से तुलनीयता के आधार पर मात्र वेतनमानों के उच्चीकरण की परिस्थिति में दिनाक 01.01.2006 से नोशनल तथा दिनाक 01.12.2008 से वास्तविक रूप में दिया गया है, को दिनाक 01.01.2006 से वास्तविक रूप से अनुमन्य किये जाने पर कितना व्ययभार आयेगा।

(3) इसके अतिरिक्त विभागों में सामान्य कोटि के अन्य संवर्गों, जिनमें वेतनमानों का उच्चीकरण तथा संवर्गीय पुनर्गठन दोनों ही सम्मिलित है तथा जिनमें वेतन

GO Dhirendra 23

उच्चीकरण केन्द्रीय समकक्षता से तुलनीयता के आधार पर नहीं किया गया है उनमें दिनांक 01.01.2006 से नोशनल लाभ तथा शासनादेश को निर्गत किये जाने की तिथि से वास्तविक उच्चीकरण/पुनर्गठन का लाभ दिया गया है, से आच्छादित संवर्गीय कार्मिकों को यदि उक्त लाभ दिनांक 01.01.2006 से वास्तविक रूप से अनुमन्य किये जाने की स्थिति में कुल वित्तीय व्ययभार कितना आयेगा।

(4) विभाग विशेष के ऐसे संवर्ग, जो सामान्य कोटि के संवर्ग नहीं है तथा उनको पुनर्गठन का शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से उच्चीकरण/पुनर्गठन का लाभ अनुमन्य किया गया है, को दिनाक 01.01.2006 से उक्त लाभ वास्तविक रूप से अनुमन्य किये जाने की स्थिति में कितना व्ययभार आयेगा।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 के पत्र दिनांक 11.12.2023 की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए निर्देशित कर दिया जाय कि वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप–1, 2, 3 एवं 4 पर **आज ही** उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

(शीतला प्रसाद)
अनु सचिव।

बैठक दिनांक 14/12/2023 11-00 बजे पूर्वाह्न A.C.S, वित्त की अध्यक्षता में। 86388/... कोर्ट केस/सम्बद्ध

V S (T)/आ-5

संख्या-वे0आ0-2- 789/दस-2023

पत्र-2128/आठ-5-2023

प्रेषक,

पुष्पराज,
विशेष सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,

सचिवालय प्रशासन विभाग	कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग	खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	खेलकूद विभाग
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग	खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग
✓आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	खाद्य एवं रसद विभाग
आबकारी विभाग	कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग
आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग	कार्मिक विभाग
उच्च शिक्षा विभाग	एन0आर0आई0 विभाग
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	कृषि विभाग
ऊर्जा विभाग	कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग

उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 11 दिसम्बर, 2023

विषय:- मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित एस0एल0पी0 (सिविल)-डायरी संख्या-20366/2023 उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य बनाम श्री वीरेन्द्र बहादुर कठेरिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 03.10.2023 के पालन हेतु सूचना दिये जाने के संबंध में अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में बैठक में प्रतिभाग किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के पत्र सं0-772/दस-2023, दिनांक 06.12.2023 **(प्रतिलिपि संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें जिसके माध्यम से मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित एस0एल0पी0 (सिविल)-डायरी संख्या-20366/2023 उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य बनाम श्री वीरेन्द्र बहादुर कठेरिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 03.10.2023 के पालन हेतु एडिशनल सॉलिसीटर जनरल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निम्न बिन्दुओं पर व्ययभार की गणना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी ताकि मा० उच्चतम न्यायालय के समक्ष अतिशय एवं अप्रत्याशित वित्तीय उपाशय की स्थिति तथा वास्तविक व्ययभार साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

(i) विभागों में कार्यरत सामान्य कोटि के संवर्गों, जिनमें वेतन उच्चीकरण केन्द्रीय समकक्षता से तुलनीयता के आधार पर मात्र वेतनमानों के उच्चीकरण की परिस्थिति में दिनांक 01.01.2006

मु०प्र०(23)152

आवास-10 13/12/23

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

से नोशनल तथा दिनांक 01.12.2008 से वास्तविक रूप में दिया गया है, को दिनांक 01.01.2006 से वास्तविक रूप से अनुमन्य किये जाने पर कितना व्ययभार आयेगा।

(ii) विभाग विशेष के संवर्ग जिनमें वेतन उच्चीकरण केन्द्रीय समकक्षता से तुलनीयता के आधार पर मात्र वेतनमानों के उच्चीकरण की परिस्थिति में दिनांक 01.01.2006 से नोशनल तथा दिनांक 01.12.2008 से वास्तविक रूप में दिया गया है, को दिनांक 01.01.2006 से वास्तविक रूप से अनुमन्य किये जाने पर कितना व्ययभार आयेगा।

(iii) इसके अतिरिक्त विभागों में सामान्य कोटि के अन्य संवर्गों, जिनमें वेतनमानों का उच्चीकरण तथा संवर्गीय पुनर्गठन दोनों ही सम्मिलित है तथा जिनमें वेतन उच्चीकरण केन्द्रीय समकक्षता से तुलनीयता के आधार पर नहीं किया गया है उनमें दिनांक 01.01.2006 से नोशनल लाभ तथा शासनादेश को निर्गत किये जाने की तिथि से वास्तविक उच्चीकरण/पुनर्गठन का लाभ दिया गया है, से आच्छादित संवर्गीय कार्मिकों को यदि उक्त लाभ दिनांक 01.01.2006 से वास्तविक रूप से अनुमन्य किये जाने की स्थिति में कुल वित्तीय व्ययभार कितना आयेगा।

(iv) विभाग विशेष के ऐसे संवर्ग, जो सामान्य कोटि के संवर्ग नहीं है तथा उनको पुनर्गठन का शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से उच्चीकरण/पुनर्गठन का लाभ अनुमन्य किया गया है, को दिनांक 01.01.2006 से उक्त लाभ वास्तविक रूप से अनुमन्य किये जाने की स्थिति में कितना व्ययभार आयेगा।

2- अवगत कराना है कि उक्त सूचना अभी तक वित्त विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। अस्तु उपर्युक्त के दृष्टिगत प्रकरण में **अपर मुख्य सचिव, वित्त की अध्यक्षता में दिनांक 14.12.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे वित्त विभाग के बैठक कक्ष पारिजात में एक बैठक** आयोजित की गई है। कृपया उपर्युक्त सूचना सहित विशेष सचिव स्तर से अन्यून अधिकारी तथा वित्त नियंत्रक को बैठक में प्रतिभाग करने हेतु नाम निर्दिष्ट करना चाहें।

भवदीय,

Pushpraj

(पुष्पराज)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव.

प्रतिलिपि निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

(पुष्पराज)
विशेष सचिव।

अति-महत्वपूर्ण

संख्या-वे0आ0-2-772/दस-2023

प्रेषक,

पुष्पराज,
विशेष सचिव,
वित्त विभाग।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 06 दिसम्बर, 2023

विषय :- मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित एस0एल0पी0 (सिविल)-डायरी संख्या-20366/2023 उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य बनाम श्री वीरेन्द्र बहादुर कठेरिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 03.10.2023 के पालन हेतु सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

अवगत कराना है कि -

(i) प्रकरण परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक व एस0डी0आई0/डी0आई0 के वेतन विसंगति से सम्बन्धित है, जो शासनादेश दिनांक 20.07.2001 से प्रदेश के अध्यापकों को केन्द्रीय अध्यापकों के समान वेतनमान दिये जाने के कारण प्रारम्भ हुआ। शासनादेश दिनांक 20.07.2001 से अध्यापकों को केन्द्रीय वेतनमान दिये जाने के कारण तुलनात्मक रूप से दोनों संवर्गों की वेतन संरचना निम्नवत् हो गयी:-

प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं उप विद्यालय निरीक्षक के वेतनमानों की तुलना (वेतन विसंगति)

(रूपये में)

वर्ष	प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय	प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	उप विद्यालय निरीक्षक
1996	4625-7000	4500-7000	6500-10500
जुलाई 2001	6500-10500	4500-7000	6500-10500

(ii) उपर्युक्त वेतन विसंगति के निराकरण हेतु उत्तर प्रदेशीय विद्यालय निरीक्षक संघ द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में याचिका सं0-675/2002 योजित की गयी, जिसे

Pushpraj

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06 मई 2002 को याचिका निस्तारित की गयी जिसमें निम्नवत् आदेश पारित किये गये :

..... *"In view of the above discussion, the writ petition is allowed. A mandamus is issued to the respondents to grant to the Sub Deputy Inspector of Schools / Assistant Basic Shiksha Adhikari and Deputy Basic Shiksha Adhikaris forthwith the pay scales as prayed for in the petition.*

A further mandamus is issued to the respondents to consider grant to the petitioner of higher pay scales than that of Head Master of Junior High School, since they were enjoying higher pay scale before 20.07.2001,"

(iii) इस आदेश का पालन किया जाना वेतन समिति द्वारा प्रख्यापित सिद्धांतों/नियमों के विरूद्ध होगा तथा अनियमित अतिशय एवं अप्रत्याशित व्ययभार उत्पन्न करेगा जो न केवल राज्य सरकार के वित्तीय नियमों/नियमावलियों एवं विनियमों के प्रतिकूल अपितु राज्य सरकार के समस्त विभागों के सामान्य कोटि के संवर्गों की व्यवस्था तथा विभाग विशेष के संवर्ग विशेष की नियमानुसार निर्धारित व्यवस्था, जो विशेषज्ञ निकाय वेतन समिति द्वारा सत्यापित की गयी है, को छिन्न-भिन्न कर देगा।

2- वेतन समिति (2008) द्वारा सामान्य वेतनमान पुनरीक्षण तथा वेतन विसंगति के प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किये गये थे :

(क) <u>वेतन पुनरीक्षण हेतु सिद्धांत</u>

वेतन समिति (2008) द्वारा प्रथम प्रतिवेदन के भाग-1 में राज्य सरकार में विभिन्न पदों पर अनुमन्य वर्तमान वेतनमान के लिए दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य किये जाने की संस्तुति की गयी। इसी क्रम में केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुरूप ही शासनादेश दिनांक 08.12.2008 द्वारा दिनांक 01.01.2006 से समस्त पूर्णकालिक राज्य कर्मचारियों के वेतनमान का सामान्य वेतन पुनरीक्षण किया गया।

(ख) <u>वेतन विसंगति के प्रकरणों के निस्तारण हेतु सिद्धांत</u>

वेतन समिति (2008) के 08वें प्रतिवेदन के अन्तर्गत पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन समिति (1997-99)/ मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों के आधार पर दिनांक 01.01.1996 से लागू वेतनमानों/व्यवस्था में दृष्टिगोचर विसंगतियों के निस्तारण हेतु कतिपय सिद्धांत अपनाये गये। प्रकरण से सम्बन्धित सिद्धांत निम्नवत हैं :

(i) <u>प्रथम सिद्धांत</u>

ऐसे प्रकरणों जिनमें सम्बन्धित पदों के **वेतनमानों का उच्चीकरण भारत सरकार के समकक्ष पदों से तुलनीयता के आधार पर किये जाने**

Pushpraj

का औचित्य पाया गया है वहाँ उच्चीकृत वेतनमान प्रकल्पित आधार पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 से अनुमन्य कराते हुए उच्चीकृत वेतनमान का लाभ तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराये जाने की संस्तुति की गयी है। तात्पर्य यह है कि ऐसे प्रकरणों में प्रकल्पित वेतन दिनांक 01.01.2006 से एवं वास्तविक वेतन सम्बन्धित प्रकरण में वेतन समिति की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा विचार करते हुए शासनादेश जारी करने की तिथि से लागू होता है।

(ii) <u>द्वितीय सिद्धांत</u>

ऐसे प्रकरण जिनमें **सम्बन्धित पदों/संवर्ग के वेतनमानों का उच्चीकरण/पुनर्गठन उनके कार्य दायित्व/कार्यात्मक आवश्यकता के आधार पर अथवा राज्य सरकार के अन्य समान प्रास्थिति के पदों की सापेक्षता के आधार पर किये जाने औचित्य पाया गया है वहाँ उच्चीकृत वेतनमान/पुनर्गठन का लाभ तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराये जाने की संस्तुति की गयी है।** तात्पर्य यह है कि ऐसे प्रकरणों में जहां वेतन का उच्चीकरण एवं संवर्ग का पुनर्गठन सम्मिलित है, के मामलों में पुनरीक्षित वेतन तद्सम्बन्धी वेतन समिति की संस्तुति का शासन स्तर पर विचार करने के उपरान्त जारी शासनादेश की तिथि से ही लागू होता है।

3- वेतन समिति द्वारा निर्धारित सिद्धांतों से विचलन का प्रभाव पडेगा -

(i) खण्ड शिक्षा अधिकारी को दिनांक 01.01.2006 अथवा किसी पूर्व की तिथि से वास्तविक लाभ प्रदान किये जाने की स्थिति में सर्वप्रथम तो प्राथमिक शिक्षा के प्रधानाध्यापकों, जिनको रिजवी सिमति की संस्तुतियों के क्रम में वेतनमान उच्चीकरण का दिनांक 01.01.2006 से काल्पनिक तथा दिनांक 01.12.2008 से वास्तविक लाभ प्रदान किया गया है, वे ही दिनांक 01.01.2006 से वास्तविक लाभ प्रदान किये जाने की मांग करेंगे।

(ii) इसके अतिरिक्त सामान्य कोटि के एवं विभागीय संवर्गों, सामान्य कोटि के अन्य संवर्गों एवं अन्य विभागीय संवर्गों द्वारा भी इस प्रकार की ही मांग हेतु दबाव बनाया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप दावों की अन्तहीन श्रृंखला का प्रारम्भ हो जायेगा। संवर्गों/सेवा संघों की मांग न माने जाने की स्थिति में मा0 उच्च न्यायालय में बडी संख्या में विधिक वादों की उत्पत्ति का कारण बनेंगी तथा विधिक बाध्यता या अन्य किसी कारण से मांग स्वीकार किये जाने पर अतिशय वित्तीय उपाशय निहित होने के कारण राजकोष पर वित्तीय व्ययभार पड़ेगा।

4- उक्त प्रकरण विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-20366/2023 से आच्छादित है तथा वर्तमान में मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि

उक्त के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में एडीसनल सॉलीसीटर जनरल, श्री के0एम0 नटराज, एडीसनल एडवोकेट जनरल, श्री शरण देव ठाकुर तथा एडवोकेट ऑन रिकार्ड, सुश्री रूचिरा गोयल पैरवी हेतु आबद्ध किये गये हैं।

5- एडीसनल सॉलीसीटर जनरल द्वारा दिनांक 03.11.2023 को उनके निवास पर हुई बैठक में यह निर्देश देते हुए अपेक्षा की गयी कि विद्यालय निरीक्षक संवर्ग द्वारा वेतनमानों के उच्चीकरण की मांग वेतन समिति द्वारा निर्धारित नियमों/सिद्धांतों के प्रतिकूल होने के दृष्टिगत इस प्रकार के स्थापित नियमों से विचलन की स्थिति में पडने वाले व्ययभार की गणना निम्न प्रारूप में उपलब्ध करायी जाय ताकि मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष अतिशय एवं अप्रत्याशित वित्तीय उपाशय की स्थिति तथा वास्तविक व्ययभार साक्ष्य रूप में प्रस्तुत किया जा सके -

(i) विभागों में कार्यरत सामान्य कोटि के संवर्गों, जिनमें वेतन उच्चीकरण केन्द्रीय समकक्षता से तुलनीयता के आधार पर मात्र वेतनमानों के उच्चीकरण की परिस्थिति में दिनांक 01.01.2006 से नोशनल तथा दिनांक 01.12.2008 से वास्तविक रूप में दिया गया है, को दिनांक 01.01.2006 से वास्तविक रूप से अनुमन्य किये जाने पर कितना व्ययभार आयेगा। **(प्रारूप-1 संलग्न)**

(ii) विभाग विशेष के संवर्ग जिनमें वेतन उच्चीकरण केन्द्रीय समकक्षता से तुलनीयता के आधार पर मात्र वेतनमानों के उच्चीकरण की परिस्थिति में दिनांक 01.01.2006 से नोशनल तथा दिनांक 01.12.2008 से वास्तविक रूप में दिया गया है, को दिनांक 01.01.2006 से वास्तविक रूप से अनुमन्य किये जाने पर कितना व्ययभार आयेगा। **(प्रारूप-2 संलग्न)**

(iii) इसके अतिरिक्त विभागों में सामान्य कोटि के अन्य संवर्गों, जिनमें वेतनमानों का उच्चीकरण तथा संवर्गीय पुनर्गठन दोनों ही सम्मिलित है तथा जिनमें वेतन उच्चीकरण केन्द्रीय समकक्षता से तुलनीयता के आधार पर नहीं किया गया है उनमें दिनांक 01.01.2006 से नोशनल लाभ तथा शासनादेश को निर्गत किये जाने की तिथि से वास्तविक उच्चीकरण/पुनर्गठन का लाभ दिया गया है, से आच्छादित संवर्गीय कार्मिकों को यदि उक्त लाभ दिनांक 01.01.2006 से वास्तविक रूप से अनुमन्य किये जाने की स्थिति में कुल वित्तीय व्ययभार कितना आयेगा। **(प्रारूप-3 संलग्न)**

(iv) विभाग विशेष के ऐसे संवर्ग, जो सामान्य कोटि के संवर्ग नहीं है तथा उनको पुनर्गठन का शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से उच्चीकरण/पुनर्गठन का लाभ अनुमन्य किया गया है, को दिनांक 01.01.2006 से उक्त लाभ वास्तविक रूप से अनुमन्य किये जाने की स्थिति में कितना व्ययभार आयेगा। **(प्रारूप-4 संलग्न)**

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने विभागों के विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक निम्न प्रारूप

Pushpraj

में सूचना 03 दिवसों में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करना चाहें। यह भी सूच्य है कि प्रकरण में अपर मुख्य सचिव, वित्त महोदय की अध्यक्षता में आगामी तिथियों में सभी विभागों के साथ विभागवार विचार-विमर्श हेतु बैठक आयोजित किये जाने पर आगे सूचना दी जायेगी।

कृपया शीघ्रता निवेदित है।

संलग्नक-यथोक्त।

Pushpraj
(पुष्पराज)
विशेष सचिव।

संख्या-वे0आ0-2- (1)/दस-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) एडवोकेट ऑन रिकार्ड, सुश्री रूचिरा गोयल
(2) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
(3) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

Pushpraj
(पुष्पराज)
विशेष सचिव।

प्रारूप-1

(ऐसे संवर्ग, जिनमें वेतन उच्चीकरण केन्द्रीय समकक्षता से तुलनीयता के आधार पर किया गया)

सामान्य कोटि के संवर्ग

प्रस्तर-2(ख)(i) से आच्छादित

क्र0 सं0	सामान्य कोटि के संवर्ग	उच्चीकरण के लाभ की अनुमन्यता	स्वीकृत पदों की संख्या एवं कार्यरत कार्मिक की संख्या	उच्चीकरण का लाभ स्वीकृत पदों एवं कार्यरत कार्मिकों को दिनांक 01.01.2006 से वास्तविक रूप से अनुमन्य किये जाने पर आने वाला व्ययभार
1	सांख्यिकीय संवर्ग	दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रकल्पित एवं दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से वास्तविक		
2	एक्स-रे टेक्नीशियन	दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रकल्पित एवं दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से वास्तविक		
3	नर्सिंग संवर्ग	दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रकल्पित एवं दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से वास्तविक		
4	अधीनस्थ लेखा एवं लेखा परीक्षा संवर्ग	दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रकल्पित एवं दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 से वास्तविक		
5	चतुर्थ श्रेणी	दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रकल्पित एवं दिनांक 08 सितम्बर, 2010 से वास्तविक		

प्रारूप-2

(ऐसे संवर्ग, जिनमें वेतन उच्चीकरण केन्द्रीय समकक्षता से तुलनीयता के आधार पर किया गया)

विभाग विशेष के संवर्ग

प्रस्तर-2(ख)(i) से आच्छादित

क्र0 सं0	विभाग का नाम	विभाग विशेष के संवर्ग/पद	उच्चीकरण के लाभ की अनुमन्यता	स्वीकृत पदों की संख्या एवं कार्यरत कार्मिक की संख्या	उच्चीकरण का लाभ स्वीकृत पदों एवं कार्यरत कार्मिकों को दिनांक 01.01.2006 से वास्तविक रूप से अनुमन्य किये जाने पर आने वाला व्ययभार

Pushpraj.

प्रारूप-3

(ऐसे संवर्ग, जिनमें वेतन उच्चीकरण केन्द्रीय समकक्षता से तुलनीयता के आधार पर नहीं किया गया)

सामान्य कोटि के अन्य संवर्ग

प्रस्तर-2(ख)(ii) से आच्छादित

क्र0 सं0	संवर्ग/पदनाम	वेतनमान उच्चीकरण के साथ ही संवर्गीय पुनर्गठन के लाभ की अनुमन्यता	स्वीकृत पदों की संख्या एवं कार्यरत कार्मिक की संख्या	उच्चीकरण का लाभ स्वीकृत पदों एवं कार्यरत कार्मिकों को दिनांक 01.01.2006 से वास्तविक रूप से अनुमन्य किये जाने पर आने वाला व्ययभार
1	वाहन चालक	तत्काल प्रभाव से (दिनांक 14 जून, 2012 से)		
2	लिपिक संवर्ग	तत्काल प्रभाव से (दिनांक 18 मार्च, 2011/दिनांक 22 दिसम्बर, 2011)		
3	पुस्तकालय संवर्ग	तत्काल प्रभाव से (दिनांक 08 सितम्बर, 2010 से)		
4	अनुरेखक एवं मानचित्रकार संवर्ग	तत्काल प्रभाव से (दिनांक 17 अगस्त, 2010 से)		
5	फोटोग्राफर कम प्रचार सहायक	तत्काल प्रभाव से (दिनांक 17 अगस्त, 2010 से)		
6	चीफ फार्मासिस्ट एवं प्रभारी अधिकारी फार्मेसी	तत्काल प्रभाव से (दिनांक 18 मार्च, 2011 से)		
7	आहार विशेषज्ञ	तत्काल प्रभाव से (शैक्षिक अर्हता संशोधन की तिथि से)		
8	समाजशास्त्री	तत्काल प्रभाव से (दिनांक 17 अगस्त, 2010 से)		
9	विधि अधिकारी	तत्काल प्रभाव से (दिनांक 17 अगस्त, 2010 से)		
10	ई0डी0पी0 संवर्ग	तत्काल प्रभाव से (दिनांक 08 सितम्बर, 2010 से)		
11	उर्दू अनुवादक संवर्ग	तत्काल प्रभाव से (दिनांक 08 सितम्बर, 2010 से)		
12	स्टोर कीपर संवर्ग	तत्काल प्रभाव से (दिनांक 03 जुलाई, 2013 से)		
13	आशुलिपिक संवर्ग	तत्काल प्रभाव से (दिनांक 08 सितम्बर, 2010 से)		

प्रारूप-4

(ऐसे संवर्ग, जिनमें वेतन उच्चीकरण केन्द्रीय समकक्षता से तुलनीयता के आधार पर नहीं किया गया)

विभाग विशेष के संवर्ग

प्रस्तर-2(ख)(ii) से आच्छादित

क्र0 सं0	विभाग का नाम	विभाग विशेष के संवर्ग/पद	वेतनमान उच्चीकरण के साथ ही संवर्गीय पुनर्गठन के लाभ की अनुमन्यता	स्वीकृत पदों की संख्या एवं कार्यरत कार्मिक की संख्या	उच्चीकरण का लाभ स्वीकृत पदों एवं कार्यरत कार्मिकों को दिनांक 01.01.2006 से वास्तविक रूप से अनुमन्य किये जाने पर आने वाला व्ययभार

Pushpraj